

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09102020-222328 CG-DL-E-09102020-222328

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509] No. 509] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 9, 2020/आश्विन 17, 1942 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 9, 2020/ASVINA 17, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2020

सं. 2/2020-सीमा शल्क (सीवीडी)

सा.का.िन. 623(अ).—जहां कि इंडोनेशिया (एतिश्मन पश्चात जिन्हें विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयाितत "स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट" (एतिश्मन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतिश्मन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के शीर्षक 7219 और 7220 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने प्राथमिक निष्कर्षों, जिसे अधिसूचना संख्या 6/16/2019-डीजीटीआर, दिनांक 7 अगस्त, 2020 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

- (i) उक्त विषयगत वस्तु का विषयगत देश से भारत को निर्यात आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर किया गया है;
- (ii) उक्त विषयगत वस्तु के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर निर्यात किए जाने के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
- (iii) यह सारवान क्षति विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आर्थिक सहायता प्राप्त आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर अनंतिम 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाने की सिफारिश की है।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (आर्थिक सहायता प्राप्त वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का संग्रहण तथा क्षित निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 15 और 22 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्राथमिक निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, विषयगत वस्तु पर, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में निर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के शीर्षक के अंतर्गत आती है, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) में उल्लिखित दर से संगणित 'काउंटरवेलिंग ड्यूटी' लगाती है, यथा -

सारणी

क्रम सं.	शीर्षक	वस्तु का विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क की राशि, सीआईएफ मूल्य के % के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7219 और 7220	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पी टी इंडोनेशिया गुआंग चिंग निकेल एंड स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्री	22.31%
2.	7219 और 7220	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पी टी इंडोनेशिया सिंगसान स्टेनलेस स्टील	22.31%
3.	7219 और 7220	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पी टी इंडोनेशिया रिपू निकेल एंड क्रोम एलोय	22.31%
4.	7219 और 7220	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	पीटी आईएमआर एआरसी स्टील	22.65%
5.	7219 और 7220	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट	इंडोनेशिया	इंडोनेशिया समेत कोई भी देश	उपर्युक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित उत्पादकों से भिन्न कोई भी उत्पादक	24.83%
6.	7219 और 7220	स्टेनलेस स्टील के फ्लैट प्रोडक्ट	इंडोनेशिया से भिन्न कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	24.83%

बशर्ते कि निम्नलिखित वस्तुओं के आयात पर ये अनंतिम कांउंटरवेलिंग ड्यूटी देय नहीं होगी, यथा:-

(क) ब्लेड स्टील, या जिसे वाणिज्यिक तौर पर रेजर ब्लैड स्टील के नाम से जाना जाता है जिसका प्रयोग रेजर के निर्माण में होता है:

- (ख) कोइन ब्लैन्क, जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के टैरिफ मद 7326 90 96 के अंतर्गत आता है, जिसका प्रयोग सिक्के के निर्माण में किया जाता है;
- (ग) स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद, जिसकी मोटाई 80 मिली मीटर से अधिक हो;
- (घ) स्टेनलेस स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद जिसकी चौड़ाई 1650 मिली मीटर से अधिक हो, आयात के बाद जिसका प्रयोग उसी रुप में बिना कांटे-छाटे उत्पाद के रुप में किया जाए, जिसकी चौड़ाई 1650 मिली मीटर से अधिक हो

बशर्ते और भी कि आयात पहले परन्तुक के उपवाक्य (घ) के बारे में सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर वस्तुओं का आयात) नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

स्पष्टीकरण: पहले परन्तुक के उपावाक्य (घ) में उल्लिखित वस्तुओं के संबंध में उक्त अनंतिम काउंटरवेलिंग ड्यूटी के भुगतान से दी जाने वाली छूट उन मामलों में लागू नहीं होगी जहां आयात के पश्चात ऐसी वस्तु की कांट-छांट करके उत्पाद तैयार किए गए हैं और उनकी मोटाई 1650 मिली मीटर से कम हो ।

3. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाई गई अनंतिम काउंटरवेलिंग ड्यूटी सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार माह की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसमें संशोधन नहीं होता है या इसका अधिक्रमण नहीं होता है, तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए:-

- (1) ऐसी अनंतिम काउंटरवेलिंग ड्यूटी की संगणना के उद्देश्य से लागू होने वाली विनिमय दर वही दर होगी जो कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो और विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वही तारीख होगी जो उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत बिल ऑफ इंट्री को प्रस्तुत किए जाने की तारीख होगी।
- (2) "सीआईएफ मूल्य" से अभिप्राय उस आंकलन मूल्य से है जिसका निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में निर्धारित किया गया हो।

[फा. सं. 354/114/2020–टीआरयू]

जे. एस. कंधारी, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2020

No. 2/2020-Customs (CVD)

- **G.S.R. 623(E).**—Whereas, in the matter of "Flat Products of Stainless Steel" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under headings 7219 and 7220 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in or exported from Indonesia (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the Designated Authority in its preliminary findings, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, *vide* notification No. 6/16/2019-DGTR, dated the 7th August, 2020 has come to the conclusion that-
 - (i) the subject goods have been exported to India from subject country at subsidised prices;
 - (ii) the domestic industry has suffered material injury due to subsidisation of the subject goods;
 - (iii) the material injury has been caused by the subsidised imports of the subject goods originating in or exported from the subject country;

and has recommended the imposition of provisional countervailing duty on imports of the subject goods originating in, or exported, from the subject country.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 9 of the Customs Tariff Act, read with rules 15 and 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid preliminary findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, a provisional countervailing duty calculated at the rate mentioned in column (7) of the said Table, namely:-

Table

Serial Number	Heading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Duty amount as a % of CIF value
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	7219 and 7220	Flat Products of Stainless Steel	Indonesia	Any country including Indonesia	PT Indonesia Guang Ching Nikel and Stainless Steel Industry	22.31%
2.	7219 and 7220	Flat Products of Stainless Steel	Indonesia	Any country including Indonesia	PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	22.31%
3.	7219 and 7220	Flat Products of Stainless Steel	Indonesia	Any country including Indonesia	PT Indonesia Ruipu Nickel and Chrome Alloy	22.31%
4.	7219 and 7220	Flat Products of Stainless Steel	Indonesia	Any country including Indonesia	PT IMR ARC Steel	22.65%
5.	7219 and 7220	Flat Products of Stainless Steel	Indonesia	Any country including Indonesia	Any producer other than producers mentioned in Serial Numbers 1 to 4 above	24.83%
6.	7219 and 7220	Flat Products of Stainless Steel	Any country other than Indonesia	Indonesia	Any	24.83%

Provided that provisional countervailing duty shall not be payable on imports of the following goods, namely:-

- (a) Blade steel, or commercially known as razor blade grade steel used in the production of razor;
- (b) Coin blank, falling under tariff item 7326 90 99 of the Custom Tariff Act, used in the production of monetary coins;
- (c) Flat rolled products of stainless steel of thickness greater than 80 millimeters;
- (d) Flat rolled products of stainless steel of width more than 1650 millimeters for use in the same form without slitting into products having width lower than 1650 millimeters after importation.

Provided further that the importer shall follow the procedure set out in the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 with respect to goods mentioned in clause (d) of the first proviso.

Explanation: The exclusion from payment of provisional countervailing duty in respect of goods at clause (d) of the first proviso shall not be applicable in those cases where such goods are slit into products having width lower than 1650 millimeters after importation thereof.

3. The provisional countervailing duty imposed under this notification shall be levied for a period of four months (unless revoked, amended or superseded earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification:-

- (1) rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such provisional countervailing duty shall be the rate, which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Customs Act;
- (2) "CIF value" means the assessable value as determined under section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. 354/114/2020-TRU]

J. S. KANDHARI, Dy. Secy.